

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1004/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स करगिल इण्डिया प्रा.लि.,
ई-156, रोड नं.-11, वी.के.आई. एरिया, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक ।
श्री आर.सी.शाह,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :22.07.2014

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ई, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स-तृतीय), वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 73/अपील्स-III/2011-12/ई के संबंध में है एवम् अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 17, 18, 25 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 17.02.2011 के जरिये अधिनियम की धारा 61(2) के तहत आरोपित "रिवर्स टैक्स" की दोगुना शास्ति ₹3,72,266/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सहायक आयुक्त, प्रतिकरापबंधन, संभाग-प्रथम, जयपुर द्वारा दिनांक 02.01.2009 को किया गया । वक्त जांच सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.12.2008 तक की अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तेल रहित खली (डी ऑयल्ड केक) की राज्य में क्रय कर, उक्त का राज्य के बाहर शाखा हस्तान्तरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(63) वित्त/कर/2005-174 दिनांक 31.03.2006 के आलोक में, हस्तान्तरित वस्तुओं पर 4 प्रतिशत से अधिक चुकाये गये कर का ही आगत कर का मुजरा प्राप्त करने के लिये व्यवहारी अधिकृत है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तेल रहित खली पर चुकाये गये 1 प्रतिशत कर का पूर्ण आगत कर का मुजरा कमशः ₹49,657/-, ₹10,38,097/-व

लगातार.....2

₹2,96,281/- व ₹32,593/-निर्धारण वर्ष 2008-09 के क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तिमाही में चाहा गया है। अतः सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उक्त कृत्य को करापवंचन मानकर, पत्रावली को निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गयी। निर्धारण अधिकारी ने पुनः दस्तावेजों की जांच कर, निर्धारण वर्ष 2008-09 के चतुर्थ तिमाही में इस प्रकार का गलत आगत कर का मुजरा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किया जाना पाया गया। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को समय-समय पर सुनवायी व इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिसेज की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उक्त गलत क्लेम किये गये आगत कर के मुजरा राशि के संबंध में लिखित स्वीकारोक्ति के पश्चात् अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹1,86,13,277/- के शाखा हस्तान्तरण में ₹1,86,133/- की राशि का गलत समायोजित आगत कर की मुजरा राशि को रिवर्स कर, आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 17 के तहत ₹1,86,13,277/- का कर दायित्व का छुपाव होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 55 के तहत अनुवर्ती ब्याज राशि ₹55,831/- व जानबूझकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेकर करापवंचन करने के कारण, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61(2) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिसेज की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किये गये जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार कर, शास्ति ₹3,72,266/- आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर, विद्वान अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने का कथन कर, उक्त पारित आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर

कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संब्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संब्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:-

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)
- (ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)
- (iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.टी.सी. 238 (राज.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल. एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226/2009 से 229/2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)
- (v) मैसर्स लार्ड वैकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.) ग
- (vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)
- (vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम् मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (viii) मैसर्स ह्यूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर-25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]
- (ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर-7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाडी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ए, भिवाडी, अपील क्रमांक 1437/2009 से 1439/2009/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत-तृतीय, जयपुर बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी-139,रोड़ नम्बर-12, वी. के.आई.ए.,जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073/2010/जयपुर, 1305 से 1308/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।

(xii) मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन-तृतीय, जयपुर अपील क्रमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

(xiii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 (राज.)

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने से यह विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.12.2008 तक 650.33 एमटी डी ऑयलड केक ₹1,53,53,960/- का राज्य के बाहर शाखा हस्तांतरण किया गया है जैसा कि रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 239, 240, 284, 285 व 323 पर प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है । इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त के स्पष्टीकरण के संबंध में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि एवम् 650.33 एस.टी. डी ऑयल केक का स्टॉक ट्रांसफर किया जाना स्वीकार किया गया है। उक्त जवाब रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 300 पर मौजूद है । इस प्रकार चतुर्थ तिमाही में भी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गलत रूप से क्लेम किये गये आगत कर की मुजरा राशि के संबंध में


उक्त तथ्य की स्वीकारोक्ति की गयी है जिसके पश्चात् अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा शाखा हस्तान्तरण की राशि का गलत समायोजित आगत कर की मुजरा राशि को रिवर्स कर, आदेश पारित किया गया। इस संबंध में अब जो निर्णायार्थ बिन्दु जो इस पीठ के समक्ष निर्णायार्थ है कि वह यह कि क्या अधिनियम की धारा 61 (2) के तहत आरोपित शास्ति विधिसम्मत एवम् उचित है कि नहीं ? इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धरित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के संबंध में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है :-

However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत तथा प्रोद्धरित अन्य न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, अधिनियम की धारा 61 (2) के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से अपास्त किया गया है, अतः उक्त बिन्दु पर पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


(मदन लाल)
सदस्य